भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 297

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>विमान किरायों के संबंध में गुटबन्दी</u>

***297. श्री वी. पन्नीरसेलवम:**

श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कुछ अग्रणी विमान कंपनियों को गुटबन्दी करने हेतु जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमान कंपनियों के नाम क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विमान किराया गुटबन्दी में शामिल पायी जाने वाली विमान कंपनियों पर अर्थदंड लगाया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी गुटबन्दी और अनुचित व्यापार व्यवहार के पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान किए जाने के लिए कोई तंत्र/नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अर्थदंड की वसूली करने और भविष्य में कंपनियों द्वारा गुटबन्दी को रोकने के लिए सरकार/भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>विमान किरायों के संबंध में गुटबन्दी संबंधी दिनांक 18.12.2015 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 297 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ग): जी, हां। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) ने "एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम जेट एअरवेज इंडिया लिमिटेड और अन्य" नामक 2013 के मामला संख्या 30 में अपने दिनांक 17.11.2015 के आदेश में यह कहा है कि जेट एअरवेज, इंडिगो एअरलाइंस और स्पाइसजेट ने ईधन प्रभार दरों को नियत करने और संशोधित करने में सांठ-गांठ की है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) जिसमें प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का निषेध है के उपबंधों का उल्लंघन किया है। आयोग ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए औसत टर्नओवर के एक प्रतिशत की दर से जेट एअरवेज पर 151.69 करोड़ रूपए, इंडिगो एअरलाइंस पर 63.74 करोड़ रुपए और स्पाइस जेट पर 42.48 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया है।

(घ): अधिनियम की धारा 53एन के अनुसार, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के पास उद्यमों द्वारा गुटबंदी करने के परिणामस्परूप केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए किसी उद्यम से क्षतिपूर्ति की वसूली का आदेश देने का अधिकार है।

(ङ): ऊपर उल्लिखित तीन एअरलाइंस को आयोग द्वारा पारित दिनांक 17.11.2015 के आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर जुर्मानें की राशि जमा करने का निदेश दिया गया था। गुटबंदी सहित प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का इस अधिनियम की धारा तीन के अंतर्गत निषेध है और आयोग इस संबंध में कोई सूचना या संदर्भ प्राप्त होने पर धारा 19 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।

*****